बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 230446 पटना, दिनांक 06.05.2015

ग्रा0वि0- अनु0को0- 91/2012

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उपविकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **दिनांक- 8 मई से 14 मई तक इच्छुक परिवारों के मांग सृजन के संबंध में विशेष अभियान।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में मनरेगा के अंतर्गत इच्छुक परिवारों से काम की मांग प्रभावी तरीके से प्राप्त नहीं की जा रही हैं । MIS पर परिलक्षित प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक- 06.05.2015 तक मात्र 116289 परिवारों के द्वारा ही कार्य की मांग की गई है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व वित्तीय वर्षों की तुलना में राज्य में काम की मांग में आई गिरावट पर ध्यान आकृष्ट किया गया है । "काम की मांग" सुगमतापूर्वक दर्ज की जा सके, इस हेतु अभियान चलाकर विशेष प्रयास करना चाहिए ।

2. विभाग द्वारा कार्य की मांग में वृद्धि तथा योजना को गति देने के लिए दिनांक- 8 मई से 2015 से 14 मई 2015 तक इच्छुक परिवारों के मांग सृजन के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है ।

3. इस संबंध में निम्नवत अग्रेतर दिशा-निर्देश दिये जाते हैं :-

(i) पंचायत रोजगार सेवक का यह दायित्व होगा कि वे अपने पंचायत अंतर्गत हर वार्ड में वार्ड सदस्य के साथ व्यक्तिगत रूप से जाएंगे । वे वार्ड सदस्य के साथ वार्ड के हर परिवार से व्यक्तिगत सम्पर्क करेंगे । जो परिवार काम की मांग करते हैं, उनसे लिखित रूप से मांग का आवेदन पत्र लिया जाएगा और पूरे 100 दिन का मांग का सृजन किया जाएगा । जो अनुसूचित जाति परिवार काम की मांग नहीं करते है, उनेस लिखित रूप से अनिच्छा प्रमाण पत्र (प्रपत्र संलग्न) लेकर अभिलेख में रखा जाएगा ।

(ii) पंचायत रोजगार सवेक की यह जिम्मेवारी होगी कि वे अनिवार्य रूप से प्राप्ति रसीद आवेदक को दें । साथ ही साथ वे कार्य की मांग के आवेदन का निबंधन MIS पर Online प्रविष्टि करना सुनिश्चित करे ।

(iii) इस प्रक्रिया में यदि ऐसा कोई परिवार मिलता है, जिनके पास जॉबकार्ड नहीं हो तो, उन्हें जॉबकार्ड निर्गत करने के लिए भी आवेदन पत्र लिया जाएगा और विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें जॉबकार्ड निर्गत कर दिया जाएगा । साथ ही मांग भी सृजित की जाएगी ।

(iv) यह अभियान - 8 मई से 2015 से 14 मई 2015 तक तक चलेगा ।

(v) कार्यक्रम पदाधिकारी अनुलग्नक- 1 पर वर्णित पत्र सभी वार्ड सदस्यों को उपलब्ध करावेंगे

4.

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या का नाम	सम्पर्क किए गए परिवारों की संख्या	कार्य की मांग करने वाले पविारों की संख्या	मांग किए गये कार्य दिवसों की कुल सख्या	कार्य की मांग नहीं करने अनिच्छा प्रमाण पत्र देने वाले परिवारों की संख्या	MIS के अनुसार मांग दर्ज कराने वाले परिवारों की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. सभी प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी इस अभियान की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन करेंगे तथा दिनांक-16.05.2014 को प्रखंड स्तर पर पंचायत रोजगार सेवकों की बैठक आयोजित करके अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। वे निम्नवत अनुपालन सुनिश्चित करेंगें:-

(i) सभी पंचायत रोजगार सेवकों ने अनिवार्य रूप से हर परिवार से सम्पर्क किया है ।

(ii) जो भी मांग सृजित हुई है, उसकी MIS पर प्रविष्टि कर हो गयी है ।

(iii) जिन परिवारों ने अनिच्छा प्रमाण पत्र दी हैं, उनकी अनिच्छा प्रमाण पत्र रोजगार सेवक द्वारा पंचायत अभिलेख में उपलब्ध रखा जायेगा । कार्यक्रम पदाधिकारी इसका अनुपालन देखेंगे ।

6. जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त के स्तर पर सभी कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक दिनांक-18.05.2015 के पूर्वाह्न में करेंगे तथा समीक्षा बैठक के आधार पर उप विकास आयुक्त जिले का एक समेकित प्रतिवेदन तैयार करेंगे । दिनांक- 19.05.2015 अप0 में 3.00 बजे 5.00 बजे के बीच NIC पर विडियों कॉफ्रेंस होगी, जिसमें उप विकास आयुक्त के साथ कार्यक्रम पदाधिकारी भी उपस्थित होंगे, जिसमें अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी ।

7. प्रगति की समीक्षा के उपरांत अगले पक्ष में पड़ने वाले बुधवार को मनरेगा जॉच दिवस अभियान में जिलों से जाने वाले वरीय उप समाहर्ताओं के द्वारा औचक रूप से इस अभियान की सफलता के लिए पंचायत रोजगार सेवकों/कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा की जाएगी । इनके द्वारा मूल रूप से निम्न बिन्दुओं पर सरजमींन की स्थिति का आकलन किया जाएगा:-

(i) क्या पंचायत रोजगार सेवक ने हर परिवार से सम्पर्क किया है?

(ii) क्या परिवारों से सम्पर्क करेके उनके मांग Capture की है या अनिच्छा प्रमाण पत्र लिया है?

(iii) क्या जिनको जॉब कार्ड की आवश्यकता थी, उनको जॉबकार्ड निर्गत किया गया है ?

8. जिन मामलों में प्रभारी पदाधिकारी यह महसूस करते हैं कि पंचायत रोजगार सेवक/कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरती हैं, उन मामलों में पंचायत रोजगार सेवकों/कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करके, उनका पक्ष सुनकर, अनुशासनात्मक कार्रवाई उप विकास आयुक्त द्वारा की जाय ।

9. **<u>विभाग दृढ़ संकल्पित है कि इच्छुक परिवारों से Pro-active सम्पर्क करके यदि वे मनरेगा में काम करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें 100 दिन को रोजगार दिया जाय ।</u>** कार्यक्रम पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे प्रतिवेदन के आधार पर इस अभियान की समीक्षा करें । मांग ऑनलाईन दर्ज हो तथा मांग के अनुरूप कार्य आवेदित किया जाय ।

10. जिला कार्यक्रम समन्वयकों की यह निजी जिम्मेदारी होगी कि विभाग के इस दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत पालन करावे ।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 6.5.15

सचिव

अनिच्छा आवेदन पत्र का प्रपत्र

मैं....., पिता/पति..... जॉब कार्ड संख्या..... जो ग्राम .....पंचायत ....., प्रखंड ....., जिला..... का निवासी हूँ.

यह ववक्तव्य देता हूँ कि पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मुझे मनरेगा में काम के आधिकार के संबंध में सारी जानकारी दी गयी है, परंतु मैं मनरेगा अंतर्गत काम करने का इच्छुक नहीं हूँ । (उपरोक्त लिखी बाते मुझे पढ़कर सुना दी गयी है तथा मैंने सब समझ कर अंगुठा का निशान बनाया है)

.....

(परिवार के व्यस्क सदस्य का हस्ताक्षर/अंगुठा का निशान)

जॉब कार्ड संख्या.....

गवाह का हस्ताक्षर

1. ..... (.....**नाम**.....), **जॉबकार्ड संख्या** .....
1. ..... (.....**नाम**.....), **जॉबकार्ड संख्या** .....

.....

(पंचाय रोजगार सवेक का हस्ताक्षर)

.....

(वार्ड सदस्य का प्रतिहस्ताक्षर)

कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा वार्ड सदस्यों को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप :-

मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग करने के इच्छुक परिवारों के काम की मांग का निबंधन ऑनलाईन नरेगा सॉफ्ट पर कराये जाने का प्रावधान है, जिसके आधार कार्यक्रम पदाधिकारी परिवार को मांग के आधार पर काम आवंटित कर दिया जायेगा ।

2. विभाग का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि - 8 मई से 2015 से 14 मई 2015 के बीच विभिन्न वार्डो के सभी अच्छुक परिवारों से सम्पर्क करके काम की मांग सृजन किया जाय । इस हेतु पंचायत रोजगार सेवक आपेस सम्पर्क करेंगे । आपसे अनुरोध है कि अपने वार्डो के सभी अच्छुक परिवारों के काम की मांग का सृजन कराया जाय । कार्य की मांग का आवेदन संबंधित पंचायत रोजगार सेवक को उपलब्ध कराया जाय ताकि उसे नरेगा सॉफ्ट पर कार्य की मांग का निबंधन किया जा सके ।

3. उल्लेखनीय है कि काम की मांग के दर्ज होने के 15 दिनों के अंदर काम देना मनरेगा अधिनियम में अनिवार्य हैं । 15 दिनों के अंदर काम नहीं देने पर संबंधित परिवार बेरोजगारी भत्ता के हकदार होते हैं । उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा वार्ड सदस्य को भी काम की मांग दर्ज करने के लिए अधिकृत किया हुआ है ।

4. वार्ड के इच्छुक परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिलाने में आपके बहुमूल्य योगदान की अपेक्षा है ।

.....

कार्यक्रम पदाधिकारी